

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1970/अग्रहायण 2, 1892

No. 422] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1970/AGRAHAYANA 2, 1892

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November 1970

S.O. 3772.—Whereas I, F.G.T. Menzies, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of tube Controller under the said Order :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause 60 of the Vegetable Oil Products control Order, 1947 read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. C.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperaton (Department of Food) No. S.O. 3490 dated the 23rd October, 1970, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the

(1863)

maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below with effect from the 24th November, 1970, as follows:—

	ZONE 'A'			ZONE 'B'		
	Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh, Delhi, and Himachal Pradesh.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Aminidivi Islands and Pondicherry.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer.
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) <i>In tin containers.</i> (Net capacity in kilograms)						
16.5 . . .	83.40	88.73	90.05	81.59	86.83	88.15
15.0(*) . . .	76.14	81.00	82.20	74.50	69.28	80.48
4.0 . . .	22.07	23.45	23.77	21.63	22.99	23.31
2.0 . . .	11.50	12.21	12.37	11.27	11.98	12.14
(b) <i>In high density polythene containers.</i> (Net capacity in kgs.)						
1.0 . . .	6.16	6.54	6.62	6.05	6.43	6.51
(c) <i>In returnable galvanised steel drums.</i> Per kilogramme net . . .	5.06	5.38	..	4.94	5.26	—
(d) <i>Loose in small quantities.</i> Per kilogramme net. . .	..	..	5.46	..	..	5.34
	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Manipur, Nagaland, N.E.F.A., Tripura and Maghalaya.			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, and Goa, Daman and Diu.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) <i>In tin containers</i> (Net capacity in kilograms)						
16.5 . . .	83.77	89.12	90.44	79.12	84.24	85.56
15.0(*) . . .	76.49	81.36	82.56	72.26	76.93	78.13
4.0 . . .	22.16	23.55	23.87	21.03	22.36	22.68
2.0 . . .	11.53	12.25	12.41	10.97	11.66	11.82
(b) <i>In high density polythene containers</i> (net capacity in kgs.)						
1.0 . . .	6.18	6.57	6.65	5.90	6.27	6.35
(c) <i>In returnable galvanised steel drums.</i> Per kilogramme net . . .	5.08	5.40	..	4.80	5.11	..
(d) <i>Loose in small quantities.</i> Per kilogramme net. . .	..	..	5.48	..	..	5.19

NOTE: (1)(*) Aerated quality—manufactured under special permission.

(2) The Price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

- (3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation : In this notification,

- (i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kilogrammes of vegetable oil product to any one consumer at a time.
 (ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product,
 (a) to a retailer in any quantity, or
 (b) to a consumer exceeding 16.5 kilogrammes at a time.

[No. 12-2/70-C & P-V.]

F. G. T. MENEZES,
 Director (Vanaspati).

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1970

का० आ० 3772.—यतः मैं, एक० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश के अधीन की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतः, अब, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947, के खण्ड 6 के उपखण्ड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3490 तारीख 23 अक्तूबर, 1970 को अधिकृत करते हुए मैं, एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 24 नवम्बर, 1970, से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूँ :—

जोन 'क'			जोन 'ख'		
हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश			आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिलनाडु, लंकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी		
उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकरविक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(क) टिन के आद्यानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
16.5	83.40	88.73	90.05	81.59	86.83
15.0(*)	76.14	81.00	82.20	74.50	79.28
4.0	22.07	23.45	23.77	21.63	22.99
2.0	11.50	12.21	12.37	11.27	11.98
					12.14

जोन 'क'			जोन 'ख'		
र०	र०	र०	र०	र०	र०
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आघातों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)					
1.0	6.16	6.54	6.62	6.05	6.43
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
	5.06	5.38	—	4.94	5.26
(घ) खुला, थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
—	—	5.46	—	—	5.34
जोन 'ग'			जोन 'घ'		
असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल अन्धमान और निकोबार द्वीप समूह, मणीपुर, नागालैंड, उत्तर पूर्व सीमान्त अधिकरण, मिजोरम और मेघालय			गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सतलुज और नगर हवेली तथा घोवा दमन और दीव		
उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(क) टिन के आघातों में किलोग्राम में शुद्ध धारिता					
16.5	83.77	89.12	90.44	79.12	84.24
15.0(*)	76.49	81.36	82.56	72.26	76.93
4.0	22.16	23.55	23.87	21.03	22.36
2.0	11.53	12.25	12.41	10.97	11.66
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आघातों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)					
1.0	6.18	6.57	6.65	5.90	6.27
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
	5.08	5.40	—	4.80	5.11
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
—	—	5.48	—	—	5.19

टिप्पणः

- (1) (*) वांछित क्वालिटी - विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।
- (2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में हुलाई सम्मिलित हैं किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंती, सीमाकर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।
- (3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं के हुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रय कर, चुंती, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित कर नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में -

- (i) 'फुटकर विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।
- (ii) 'थोक विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,
 - (क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या
 - (ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/70-सी० एण्ड पी० V]

एफ० जी० टी० मैनेजिङ्ग,
निदेशक (वनस्पति) ।

